

आदेश - पत्रक

उमरवाही
पिता-खेदनवाही
ग्राम भायापुर

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला सं० सन्

केस का प्रकार सेट्टात्मक

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित										
1	2	3										
	सन्देशात्मक वाद का संधारण मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार का पत्रांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 तथा अपर समाहर्ता, चतरा का पत्रांक 462/रा० दिनांक 17.05.2016 के आलोक में अवैध जमाबन्दी से संबंधित भूमि की सूची उपलब्ध कराने हेतु आदेश प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें तथा अभिलेख दिनांक 14.6.16 को उपस्थित करें। अंचल अधिकारी, चतरा। अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा खतियान एवं पंजी II के अवलोकन के पश्चात ग्राम के रैयत के खेदनवाही 618, पिता खाता संख्या 95, प्लॉट संख्या रकबा 2.00 भूमि जो गैरमजरूआ खाते की है। भूमि में कायम अवैध जमाबन्दी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है। <table><tr><th>क्र०</th><th>खाता</th><th>प्लॉट</th><th>रकबा</th><th>लगान</th></tr><tr><td></td><td>95</td><td></td><td>2.00</td><td>9</td></tr></table>	क्र०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान		95		2.00	9	
क्र०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान								
	95		2.00	9								

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

गृह
बार
तारीख
तिथि

1

2

गैरमजरूआ जमीन पर कायम अवैध जमाबन्दी से संबंधित रैयत/रयैतो को नोटिस निर्गत कर जमाबन्दी कायम होने का आधार से संबंधित मूल कागजात की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 28.6.16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
चतरा।

28.6.16

विषय वार्ता उपरि-उक्त क्षेत्र में जमाबन्दी कायम करने के लिए नोटिस निर्गत कर जमाबन्दी कायम होने का आधार से संबंधित मूल कागजात की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 28.6.16 को उपस्थापित करें।

8.7.16

विषय वार्ता उपरि-उक्त क्षेत्र में जमाबन्दी कायम करने के लिए नोटिस निर्गत कर जमाबन्दी कायम होने का आधार से संबंधित मूल कागजात की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 8.7.16 को उपस्थापित करें।

6.7.18

विषय वार्ता उपरि-उक्त क्षेत्र में जमाबन्दी कायम करने के लिए नोटिस निर्गत कर जमाबन्दी कायम होने का आधार से संबंधित मूल कागजात की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 6.7.18 को उपस्थापित करें।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा अभिलेख में उल्लेखित है कि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि का पंजी ॥ में विवरण संदेहात्मक दर्ज है। फलतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अंचल अधिकारी, चतरा के अनुशंसा के आलोक में जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के माध्यम से अपर समाहर्ता, चतरा को भेजे। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा। अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा।	